20/2/24 आज प्रार्थी पेश हुए। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कठूमर एवं उनके मातहत कर्मचारी कहते पर मारने पर प्रार्थी को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र धारा 115 व 15 जा.पी. एक्ट के अन्तर्गत निरस्त की जाती है। निर्णय मौखिक रूप से लिखाया जाता है कि सम्पत्ति विवाद है। इसलिए खारिज किया जाता है। प्रार्थी को कहा कि अगर होल्ट्राफ पेशी के बाद कि अगर डाकिक उपचार है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:54 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner